UPMO04-048987-2026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–01, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0- /2026

दिनांक: 10.08.2026

मुकदमा अपराध संख्या–759/2024, धारा-85,115(2),352,351(2),324(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-3/4, डी.पी. एक्ट, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद में अभियुक्त, देवेन्द्र सैनी की ओर से आत्मसमर्पण एवं जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय कक्ष में उपस्थित हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष हैं एवं उपरोक्त प्रकरण में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा वादिनी से कोई दहेज की मांग नहीं की है और न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी की आख्यानुसार अपराध गैर जमानतीय व गंभीर प्रकृति का है तथा अभियुक्त पर वारंट प्रचलित है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तलब कर सुनवायी करना समीचीन है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत मामला पारिवारिक व वैवाहिक है। अभियुक्त वादिनी मुकदमा के पति है। वादिनी मुकदमा न्यायालय उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त, देवेन्द्र सैनी द्वारा मुबलिग 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पूर्व में दाखिल प्रतिभू पर जमानत पर रिहा किया जाता है। पक्षकार दिनांक 13.08.2026 को सुलहवार्ता हेतु सुलह समझौता केन्द्र, मुरादाबाद में उपस्थित हों। इस हेतु वादिनी मुकदमा को नोटिस जारी हो। मीडिएशन की आख्या अविलम्ब तलब हो।

(नम्रता शर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–01, मुरादाबाद

Digitally signed by NAMRATA SHARMA
Date: 2026.08.10 16:14:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court